भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2990
दिनांक 12 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

बाल विवाह

2990. श्री बी.एन. बचेगौडा:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री ए. नारायण स्वामी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान बाल विवाह से संबंधित शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक प्राप्त उक्त शिकायतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान बाल यौन शोषण एवं बलात्कार से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ग) क्या कर्नाटक राज्य में भी बाल विवाह की कोशिशों में खतरनाक रूप से तेजी देखी गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) बाल विवाहों की संख्या में कमी लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) "भारत में अपराध" नामक अपने प्रकाशन में अपराधों पर सूचना संकलित एवं प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2019 तक उपलब्ध हैं। डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट www.ncrb.gov.in पर उपलब्ध है। कोविड-19 महामारी के दौरान कर्नाटक सहित देश में 2020 में बाल विवाह की संख्या में वृद्धि का संकेत देने वाला कोई विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रकाशित सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात 2017 से 2019 में कर्नाटक ने बाल विवाह के कुल 249 मामलों (2017 में 65, 2018 में 73 और 2019 में 111) की सूचना दी है।

(घ): सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए) 2006 अधिनियमित किया है। सरकार इस प्रथा की बुराइयों से अवगत कराने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान एवं आउटरीच कार्यक्रमों का भी संचालन करती है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करती है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना फोकस का एक प्रमुख क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भी समय-समय पर इस संबंध में हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों एवं परामर्शों का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने संकटग्रस्त बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन 1098 शुरू किया है जो चौबीसों घंटे टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है जो किसी भी प्रकार की सहायता से संबंधित कॉल का उत्तर देती है जिसकी किसी बच्चे को

आवश्यकता होती है जिसमें पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी तथा जिला बाल संरक्षण यूनिट आदि के समन्वय में बाल विवाहों को रोकना शामिल है।

***